न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 152 / 2023

सरकार बनाम् इन्द्रसिंह, राजवीर पुत्रान श्रीचन्द जाति जाट निवासी सालम का बास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 04.09.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल राजवीर उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान इन्द्रसिंह, राजवीर पुत्रान श्रीचन्द जाति जाट, निवासी–सालम का बास द्वारा रोही मौजा सालम का बास की भूमि ख.नं. 13 कुल रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर ग्वार काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल इन्द्रसिंह बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल इन्द्रसिंह के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

गैर सायल राजवीर ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया तथा गैर सायल ने उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहा है तथा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 20 पर
वर्ष 22-24 में रकम 0.68 कायम किए
राजस्व लेखाकार